3

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 03/19 तारीख रजू:— 19.7.2019

पीठासीन अधिकारी:— दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

बसंती पुत्री विशनस्वरूप जाति गूर्जर निवासी मूंडिया तहसील टोडाभीम।

अपीलांट

बनाम

ग्राम पंचायत मूंडिया जरिए सरपंच ग्राम पंचायत मूंडिया तहसील टोडाभीम।

रेस्पोडेन्ट

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

अपील विरूद्व
नामांतकरण सख्या 709 दिनांक 20.11.2015
उपस्थिति:— श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (अपीलांट)

निर्णय **दिनांक:— 24.9.19**

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है अपीलांट ने प्रस्तुत अपील मे उल्लेख किया है कि विशन स्परूप पुत्र शंकर गूर्जर निवासी मूंडिया की मृत्यु हो जाने पर विरासत की भूमि का नामांतकरण संख्या 709 दिनांक 20.11.2015 द्वारा मदनमोहन ,गोविन्दसिंह, गणेश, अशोक तथा नर्बदा, कावेरी, उगन्ती, लक्ष्मी के नाम ग्राम पंचायत मूंडिया द्वारा तस्दीक हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत मूंडिया द्वारा बसन्ती के स्थान पर कावेरी दर्ज कर दिया है, बसन्ती व कावेरी एक ही महिला है, अपीलांट ग्रामीण एवं अशिक्षित महिला है इस कारण अशुद्व नाम होने की जानकारी नही थी नाहि नामांतकरण की सुनवाई के समय अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया था। चूकि अपीलांट अपनी शादी के बाद सुसराल मे रह रही है अपीलांट अपनी भूमि पर के.सी.सी. लोन लेना चाहती थी तथा प्रधान मंत्री कृषक लाभ योजना के तहत आवेदन भर रही थी तब रिकार्ड जमाबन्दी देखने पर जानकारी हुयी कि मेरे सही नाम बसन्ती के स्थान पर कावेरी नाम दर्ज हो गया है जो गलत है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि नामांतकरण संख्या 709 दिनांक 20.11.2015 मे कावेरी के स्थान पर शुद्व नाम बसन्ती दर्ज करते हुए अपील स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किये जावे कि हाल खाता संख्या 347, 348, 349 ग्राम मूंडिया मे वर्णित खसरा नम्बरान मे कावेरी के स्थान पर बसन्ती दर्ज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत मूंडिया ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया। कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है कावेरी व बसन्ती एक ही औरत है कावेरी के स्थान पर बसन्ती नाम दर्ज किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है, नायब तहसीलदार बालघाट कार्यालय से मूल नामांतकरण तलब किया गया।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रस्तुत अपील विरासत के नामांतकरण की है। जिसमे विशनस्वरूप की विरासत का नामांतकरण खोलते समय उसके वारिसान बसंती के स्थान पर कावेरी का नाम दर्ज कर दिया गया था। जबकि कावेरी का सही नाम बसन्ती है अतः अपील स्वीकार की जावे। वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील को पुनः सुनवाई के हेतु तहसीलदार टोडाभीम के स्थान पर ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जावे। क्योकि प्रकरण विरासत का है। विरासत के नामांतकरण की सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत किया। जिसमे अपीलांट द्वारा उल्लेख किया है कि अपीलांट ग्रामीण अशिक्षित महिला है तथा नामांतकरण तस्दीक होने की जानकारी अपीलांट को नही है अपीलांट शादी के बाद से ही ससुराल मे रह रही है। तथा अपीलांट द्वारा कृषि भूमि पर के.सी.सी. के ऋण लेने हेतु जमाबन्दी देखने पर दिनांक 2.7.19 को जानकारी हुई थीं उनका नाम बसन्ती के स्थान पर कावेरी दर्ज हो गया है।

अपील अपीलांट का उक्त कथन स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा आधारकार्ड कमांक 879353858480 तथा भारत निर्वाचन अयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एम.आर.पी. 1389279 प्रस्तुत किया जिसमे बसन्ती पत्नि देवीसिंह निवासी गाठोली थाना गोवर्धन जिला मथुरा का उल्लेख है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनां 16.8.2019 मे कावेरी व बसन्ती एक ही औरत होना बताया है। तथा कावेरी के स्थान पर बसन्ती दर्ज किया जावे तो ग्राम पचायत को कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है। नामांतकरण संख्या 709 ग्राम मूंडिया दिनांक 20.11.2015 का अवलोकन किया गया। उक्त नामांतकरण ग्राम मूंडिया के खाता संख्या 497, 498, 496 मे विशनस्वरूप पुत्र शंकर उर्फ श्यामसुन्दर की विरासत का खोला जाकर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यो से स्पष्ट है कि बसंती व कावेरी एक ही महिला है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 709 दिनांक 20.11.2015 खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील पुनः सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत को भेजे जाने बावत स्वीकार किया जाता है ग्राम पंचायत मूंडिया को विशनस्वरूप पुत्र शंकर उर्फ श्याम सुन्दर की विरासत की जॉच कर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित हेतु रिमाण्ड की जाती है। निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.9.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलक्टर

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner